मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय,वल्लभ–भवन,भोपाल–462004

क्रमांक एफ–31–10/2015/27–1 भोपाल, दिनांक अगस्त 2015

प्रति,

उपाध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषयः–जोबट विस्तार (माइक्रो इरिगेशन) परियोजना की लागत रूपये 156.58 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति

संदर्भः–सचिव, न0नि0मं0का पत्र क्र0 184/5110/27/न.नि.मं/15 दिनांक 10.07.2015

———————

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 51 वीं बैठक दिनांक 09.07.2015 में **जोबट विस्तार (माइक्रो इरिगेशन) परियोजना की लागत** रूपये 156.58 करोड (रूपये एक सौ छप्पन करोड अट्ठावन लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2/ अतः राज्य शासन एतद द्वारा **जोबट विस्तार (माइक्रो इरिगेशन) परियोजना की लागत** रूपये 156.58 करोड (रूपये एक सौ छप्पन करोड अट्ठावन लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उक्त व्यय लेखाशीर्ष 41–4700–80–800–0102–1248 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19.8.15

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

क्रमांक एफ–31–10/2015/27–1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय ,भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. सदस्य अभियांत्रिकी/वित्त/पर्यावरण एवं वन न.घा.वि.प्रा. भोपाल।
5. संभागायुक्त, इन्दौर म0प्र0 ।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल ।
7. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
8. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
9. मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनऐं इन्दौर।
10. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास विभाग,भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित।

19.8.15

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग